Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER 2024/45

Number of Case ...अ/18... Year ...2024...

...सुमन... Versus ...नरसिंह...

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	पर पक्ष पर अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रार्थना-पत्र पेश नहीं करने से इनका जवाब प्रा.पत्र बंद किया जाता है। अप्रार्थी सं 3व4 का जवाब प्रा-पत्र पूर्व में प्रस्तुत है। अप्रार्थी सं 5 प्रोफार्मा पक्षकार है जिसे जवाब की आवश्यकता नहीं रहती है अतः इनका जवाब बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA, 1955 हेतु आइन्दा दिनांक 03/04/25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	
03/04/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण 1व2 अनुपस्थित। वकील अप्रार्थी 1व2 को बार-बार रुक रुक कर आवाजें दिलाई गई बावजूद अनुपस्थित रहे। अतः बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा यह निवेदन किया गया कि दिनांक 27/05/24 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद पुख्ता किये जाने का निवेदन किया गया।	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER 2024/4..

Number of Case A/18 Year 2024

सुमन Versus नरसिंह

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of contents of the Order
	वकील अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा न तो जवाब प्रा-पत्र प्रस्तुत किया गया व न ही आज दौराने बहस उपस्थित आये। अतः अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र का खण्डन नहीं किया गया है। अप्रार्थी सं. 3 व 4 द्वारा अपने जवाब प्रा-पत्र में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र का अप्रार्थीगण द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। अतः आदेशिका दिनांक 27/05/24 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ता-फैसला मूल वाद पुख्ता की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर आर्खिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर